

# जबलपुर: 2 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में तहसीलदार निलंबित

भास्करन्यूज़ | जबलपुर

कमिश्नर अभय वर्मा जबलपुर ने डिंडोरी के तत्कालीन तहसीलदार को 2 करोड़ 83 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले में निलंबित कर दिया है। तहसीलदार ने 3916 किसानों को गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाया। मामले की जांच के बाद डिंडोरी के तहसीलदार रह चुके बिशन सिंह ठाकुर के खिलाफ वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अभी तक 15 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी की जा चुकी है। डिंडोरी जिले में तहसीलदार रहते हुए अपात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहुंचाया गया था। मामले की विस्तृत जांच के बाद तहसीलदार को दोषी पाया गया है।